

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

NOTIFICATION

No. C/979
III-2-9/40 Pt. 1 F.No.7 (VWDC)

Jabalpur, dated 10.3.2022

In compliance of the directions issued by Honourable the Supreme Court of India in judgement passed on 11.01.2022 in Criminal Appeal No. 1101 of 2019, ***Smruti Tukaram Badade vs. State of Maharastra & anr.***, 2022 SCC OnLine SC 78, the Vulnerable Witnesses Deposition Centres (VWDC) Scheme to be called as the '**Guidelines for Recording Evidence of Vulnerable Witnesses in Criminal Matters, 2022**'; as annexed, is hereby notified by the High Court of Madhya Pradesh today this 10th day of March, 2022.

BY ORDER OF HONOURABLE THE CHIEF JUSTICE


(VIVEK SAXENA)

REGISTRAR (District Establishment)

Endorsement No. C/980

Jabalpur, dated 10.3.2022

Copy forwarded to;

1. The Registrar cum PPS of Honourable the Chief Justice for kind information of His Lordship;
2. The Registrar General, the Principal Registrar (Judicial), the Principal Registrar (Vigilance) and the Principal Registrar (Examination & ILR) High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for information and necessary action;
3. The Principal District and Sessions Judge, all in the state;
4. District Judge, (Inspection), Jabalpur, Indore and Gwalior for information and necessary action;
5. The Principal Registrar, Bench at Indore and Gwalior High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;

6. The Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur for information;
7. The Member Secretary, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
8. The Registrar (Judicial-1), (Judicial-II), (Administration), (Vigilance), (Inspection & Litigation), (Examination and Labour Judiciary) for information;
9. The Joint Registrar Confidential and the Administrative Officer, Checker Section, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information.
10. The Deputy Controller, Government Central Press, Arera Hills, Habibganj, Bhopal-6 for publication in the next issue of Madhya Pradesh Rajpatra.

Lenam
10.3.2022
(VIVEK SAXENA)

REGISTRAR District Establishment

GUIDELINES FOR RECORDING EVIDENCE OF VULNERABLE WITNESSES IN CRIMINAL MATTERS

PREAMBLE

Whereas it is expedient to ensure a fair trial to all stakeholders including witnesses; to elicit and secure complete, accurate and reliable evidence from vulnerable witnesses; to minimize harm or secondary victimization of vulnerable witnesses in anticipation and participation in the criminal justice system; to curb the menace of perjury; to secure right to privacy and to improve the response of the justice dispensation system;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court in *Smruti Tukaram Badade vs. State of Maharashtra and Anr.*, 2022 SCC OnLine SC 78 has cast a duty on the High Courts to adopt and notify Vulnerable Witnesses Deposition Centers Scheme;

Be it formulated by the High Court of Madhya Pradesh as follows:

1. Short title, extent and commencement –

- (1) These guidelines may be called as the **Guidelines for Recording Evidence of Vulnerable Witnesses in Criminal Matters, 2022.**
- (2) It shall come into force from the date of its notification by the High Court of Madhya Pradesh.
- (3) It shall apply to all Criminal Courts in the State of Madhya Pradesh and govern the examination of vulnerable witnesses during inquiry and criminal trial

and shall apply not only to victims but also to witnesses regardless of the fact, which party seeks to examine the witness.

2. **Construction of the Guidelines** – The guidelines shall be liberally construed to uphold the interests of vulnerable witnesses and to promote their maximum accommodation without prejudice to the right of the accused to fair trial, and to secure complete justice.
3. **Guidelines not in derogation of any other law** – These guidelines shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other applicable law, rule or guideline.
4. **Definitions** – In these guidelines, unless the context otherwise requires:–
 - (a) **Best Interests** – means circumstances and conditions most congenial for security, protection of the witness, most encouraging to his/her physical, psychological and emotional development and also includes available alternatives for safeguarding the growth and development of a vulnerable witness.
 - (b) **Concealing Identity** – means and includes any condition prohibiting publication of the name, parentage, address and other particulars which may lead to identification of a vulnerable witness.
 - (c) **Court Room** – means video conferencing room, witness deposition centre or office/room of the District Legal Services Authority or any other place where a

vulnerable witness testifies or where testimony is recorded.

- (d) **Descriptive Aid** – mean and include a human figure model or anatomical doll or a picture or anatomical diagrams or any other aid, as may be deemed appropriate, to help a vulnerable witness to explain an act or a fact.
- (e) **Developmental Level** – refers to specific growth phase of a person including physically or mentally ill person in which most individual are expected to behave and function in relation to the advancement of their physical, socio-economical, cognitive and moral abilities.
- (f) **Facilitator** – means a person appointed to assist a vulnerable witness in effectively communicating at various stages of proceedings and coordinate with other stakeholders for the purpose.
- (g) **In-camera Proceedings** – mean proceedings carried out in private, in the absence of the public and the press and in such proceedings, only those persons are allowed whose presence is necessary and specified by the Court.
- (h) **Live Link** – means and includes a live television link, audio-video electronic means or other arrangement whereby a witness, while absent from the court room is nevertheless present and can give evidence using technology by remote communication.
- (i) **Secondary Victimization** – means victimization that

occurs not as a direct result of a criminal act but through the response of institutions or individuals to the victim.

- (j) **Special Measures** – mean and include use of any mode, method and instrument considered necessary for providing assistance in recording deposition of a vulnerable witness.
- (k) **Support Person** – means a person appointed by the Court or by any other authority under any applicable law or rules or guidelines, to provide support, accompany and assist a vulnerable witness to testify or attend judicial proceedings.
- (l) **Vulnerable Witness** – means a witness who falls within any of the following categories:
 - (i) A child who has not completed 18 years of age;
 - (ii) Age neutral victim of sexual assault;
 - (iii) Gender neutral victim of sexual assault;
 - (iv) Age and gender neutral victim of sexual assault under Section 354 and 377 of the Indian Penal Code, 1860;
 - (v) Witness suffering from “mental illness” as defined under Section 2(s) of the Mental Healthcare Act, 2017;
 - (vi) Any witness deemed to have a threat perception under the Witness Protection Scheme, 2018 of the Union Government;

(vii) Any speech or hearing impaired individual or a person suffering from any other disability who is considered to be a vulnerable witness by the Court;

(viii) Any other witness deemed to be vulnerable by the Court.

(m) Waiting Area – refers to a safe place for the vulnerable witnesses where they can wait; equipped with toys, books, TV, etc. in order to help them lower their anxiety.

5. General principles to be followed – While dealing with the vulnerable witnesses guiding principles mentioned below shall be followed, as far as feasible:

(1) The vulnerable witnesses shall receive high priority and shall be handled, as expeditiously as possible, minimizing unnecessary delays and for the same purpose, court schedule may be altered.

(2) To protect the right to privacy and to minimize harm or secondary victimization of the witness, the Court shall ensure that his/her evidence shall be recorded in-camera proceedings. For the same purpose, the Court may order excluding all or any person from the court room or allow any particular person to have access to, or be or remain in, the court room.

(3) The Court shall ensure to provide comfortable environment for the witness by issuing appropriate directions and also by supervising the location,

movement and deportment of all persons in the court room. The place from which the witness testifies may be rearranged to facilitate his/her testimony in such a way that opposite party and his/her counsel have a frontal view of the witness. To create appropriate environment, the Judge/Magistrate may absolve himself/herself from wearing judicial robes.

- (4) The Court shall ensure that the developmental needs of the witness are identified, recognized and accommodated in the arrangement of the court room.
- (5) In making any order under these guidelines, the Court shall consider the developmental level of the witness, the nature of crime, the nature of his/her testimony regarding the crime, his/her relationship to the accused and to persons attending the trial and his/her desires.
- (6) To make the vulnerable witness comfortable, the Court shall ensure that the waiting area for the witness along with the support person and his/her lawyer, if any, is separate from the waiting area or room used by other persons.
- (7) The Court shall ensure that proceedings relevant to the testimony of a vulnerable witness are conducted in simple language comprehensible to the witness, and demeanor and gesture of the witness shall be appropriately recorded in the deposition.
- (8) If the witness needs the assistance of support person, facilitator or any other assistance as provided in these

guidelines, same should be provided him/her free of charge.

- (9) These Guidelines are general recommendations to subserve the ends of justice and are intended to assist presiding officer in achieving the ends of justice. The method and manner of proceedings and recording of testimony shall be dependent upon the facts and circumstances of each and every case, keeping in mind interest of vulnerable witness.
6. **Pre-trial visit** – A vulnerable witness along with the support person may be allowed a pre-trial Court visit including locations of court officials, witness box and public in gallery etc. to enable him/her to familiarize with the layout of the Court, court procedure and facilities available in the Court. It may include discussion with Judge/Magistrate and prosecutor; and demonstrations of any special measures to dispel the fear, trauma and anxiety in connection with the prospective deposition at Court.
7. **Pre-trial meeting** – The Judge/Magistrate may, *suo motu* or on request, meet a vulnerable witness for explaining the court process in order to help her/him in understanding the procedure and giving best evidence. This meeting may be conducted in the presence of the prosecutor and the defence lawyer or for the reasons to be recorded, in their absence.
8. **Special measures direction** – The Court may direct as to which, special measure will be used to assist a particular witness in providing the best evidence. Such directions may

be discharged or varied during the proceedings.

9. Legal assistance – The Court may *suo moto* or on request, provide legal assistance to the vulnerable witness, if it considers the assignment of a lawyer will be in the best interest of the witness.

10. Appointment of support person –

(1) If a vulnerable witness is below the age of 18 years or suffers from any physical or mental disability, the Court, *suo motu* or on an application, may appoint or permit a support person for the witness and the Court should be flexible in making such appointment or granting permission.

(2) The support person may also be the person who has been enlisted in the register maintained by the District Child Protection Unit under rule 5(1) of the Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2020. In the appointment, preference may be given to the choice of the witness subject to his/her best interest and developmental level.

11. Extent of support to be provided by support person –

(1) Generally, the support person shall be present in the court room while recording of testimony of the witness. He/she should be within the view and should not completely obscure the witness from the view of the opposite party, counsel of the parties and the Judge/Magistrate.

- (2) The Court may allow the support person to provide emotional support to the witness in the course of the proceedings.
- (3) The Court shall instruct the support person not to influence the testimony of the witness in any way.

12. The testimony of support person to be recorded prior –

Testimony of the support person, if he/she is also a witness of that proceeding, may be recorded prior to the testimony of the vulnerable witness.

13. Appointment and duties of facilitator –

- (1) The Court may, *suo motu* or on an application presented by either party or by the support person, appoint a facilitator, if it determines that the vulnerable witness finds it difficult to understand or respond to questions asked.
- (2) The facilitator may be an interpreter, a translator, child psychologist, psychiatrist, social worker, guidance counselor, teacher, parent or relative of the witness who shall be under oath to pose questions according to meaning intended by the counsel.
- (3) The facilitator may also be the person who has been enlisted in the register maintained by the District Child Protection Unit under rule 5(1) of the Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2020.
- (4) If the witness is unable to understand the questions asked to him/her during testimony, it shall be the duty of the facilitator to explain the same in such words or by

such mode comprehensible to the witness and which conveys the meaning intended by the counsel.

14. Fees of support person and facilitator –

- (1) A support person or the facilitator, who is present in the Court for rendering his/her services for recording the evidence of the vulnerable witness and is not a salaried employee/officer of the Government or a family member or relative of the witness, may be paid following fees until the State Government prescribes specific fees or honorarium under rule 5(8) of the Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2020 or any other applicable rules:

Category	When evidence recorded	When evidence not recorded
Support Person	500/-	250/-
Facilitator	1,000/-	500/-

- (2) The fees as mentioned above may be provided from the contingency fund available in the District Court until the State Government provides any other fund for the said purpose.

15. Assessment of competency of certain vulnerable witness –

- (1) The vulnerable witness shall be competent to testify unless the Court considers that he/she is prevented from understanding the questions put to him/her or from giving rational answers to those questions due to tender age, disease, either of body or mind or any other cause of the same kind.

Explanation: A mentally ill person may also be held competent unless he/she is prevented by his/her lunacy to understand questions.

- (2) The Court may, *suo motu* or on an application, conduct competency examination before recording the testimony of the witness.
- (3) Only the following are allowed to attend the competence assessment:
 - (a) counsel for the parties;
 - (b) support person;
 - (c) facilitator;
 - (d) accused person, unless the Court determines that competency can be fully evaluated in his/her absence;
 - (e) court personnel as deemed necessary by the Judge/ Magistrate;
 - (f) any other person who, in the opinion of the Court, can assist in the competency assessment.
- (4) The questions asked to assess the competency of the witness shall be appropriate to the age and developmental level of the witness and generally, shall not be related to the issue of that inquiry or trial.

16. Explaining the rules of deposition – The Court shall, before starting testimony, explain the following to the vulnerable witness;

- (1) to listen carefully to the questions;
- (2) to tell the truth, by speaking loudly and not merely by

nodding and shaking in yes or no;

- (3) to specifically state that he/she does not remember or has forgotten something; and
- (4) to clearly ask if question is not understood.

17. Mode of questioning – To facilitate the ascertainment of the truth, the Court shall exercise control over the questioning from the vulnerable witnesses. This shall include but not limited to following modes:

- (1) By ensuring that questions are stated in a form appropriate to the developmental level of vulnerable witness;
- (2) By allowing the questions to be put in simple language avoiding vague or ambiguous or two-three meanings words or compound or complex sentences and questions, which are likely to confuse a witness. Generally, double negative or excessively long questions should be discouraged;
- (3) If the witness seems confused in spite of repetition of the same question, by directing that the question be put after re-framing or in a different way;
- (4) By declining questions which the Court considers to be indecent or scandalous, intended to insult or annoy, or unacceptable due to their being improper, unfair, misleading, needless or repetitive;
- (5) By protecting the witness from harassment or undue embarrassment;

- (6) By allowing the witness to testify in a narrative form.
 - (7) If the developmental level of the witness requires, questions should be put through the Judge/Magistrate.
18. **Objections to questions** – Objections to questions should be couched in a manner so as not to mislead, confuse or frighten a vulnerable witness.
 19. **Appropriate hours of testimony and recess** – Testimony of the vulnerable witness should be taken during a time of day when the witness is well-rested and the Court may allow reasonable periods of relief while undergoing depositions, as often as necessary, depending on his/her developmental need.
 20. **Descriptive Aid** – The Court may permit the vulnerable witness to use descriptive aid while deposing.
 21. **No adverse inference to be drawn** – No adverse inference shall be drawn on the basis that the vulnerable witness has been provided any benefit of a special measure to assist him/her in deposition.
 22. **Videography of testimony** –
 - (1) If the vulnerable witness is a deaf and dumb or unable to speak or hear, he/she may be administered oath by appropriate means and with the assistance of the support person or the facilitator, as the case may be. However, if the witness is capable to read and write, it is most desirable to adopt that method for oath or recording evidence other than any sign language.
 - (2) If the testimony of the vulnerable witness is required to

be taken in sign language, it should be videographed subject to provisions of the applicable law or rule. The hardware, video conferencing unit or any other computer with camera facility available in the court room may be used for such videography. For the purpose, separate lists for district and tehsil headquarters may be prepared by every district court in the form of a panel of suitable employees of that establishment. Such employees may be provided training, if required.

- (3) If it is not possible to take services of the employees under the above clause, services may be outsourced. While outsourcing, efforts should be made to procure the services from the persons enlisted in the Public Relation Department of Government of Madhya Pradesh at the rate approved by that department.

23. Testimony through video conferencing –

- (1) In cases, where the vulnerable witness does not reside near the court point and authentic video conferencing facility is available nearer to his/her place of residence, his/her evidence should, preferably, be recorded by video conferencing. However, in child trafficking matters, where victim child resides at a long distance, his/her evidence must be recorded by video conferencing.
- (2) As far as practicable, all protections mentioned hereinbefore, shall be available to the vulnerable witness, while recording of evidence through video

conferencing irrespective of the fact that he/she is at court point or remote point. In the later situation, adherence to these guidelines may be ensured at remote point through Remote Point Coordinator.

- (3) The Remote Point Coordinator may be a person who is nominated as Remote Point Coordinator under any law or rules. A retired Judicial Officer or the Secretary, District Legal Services Authority or any other suitable person may also be nominated to do the work of Remote Point Coordinator by the trial Court.
- (4) In cases, where the evidence is to be recorded through video conferencing, in addition to other details required by any applicable law or rules, the summons shall also include the name and contact details of the Remote Point Coordinator, and shall specify that the witness can seek legal aid or other assistance through the Secretary, District Legal Service Authority, if required. For recording testimony through video conferencing, the Court shall be guided by video conferencing rules.
- (5) It should be ensured in the matters of child witnesses that a police officer shall be present outside the remote point so that the witness may not come in contact with the accused or any relative of the accused.
- (6) The Remote Point Coordinator shall take all possible measures and seek the assistance of the support person to ensure that the witness is comfortable.

24. Testimony through Live Link where witness present in Court –

- (1) When the Court is satisfied that there is a substantial likelihood that the vulnerable witness present in the Court would not provide a full and candid account of evidence in the presence of the accused, his/her counsel or the prosecutor, the Court may, on its own motion or on an application, order that the testimony of the witness be taken from a room other than the Court room and be televised by live-link to the court room where only persons permitted by the court shall be present.
- (2) In order to take a decision, the Judge/Magistrate may question the witness in chamber or at any comfortable place other than the court room, in the presence or absence of the support person, prosecutor and counsel for the parties. Such questions shall not be related to the issues of trial but to the feelings of the witness about testifying in the court room.
- (3) The order granting or denying the use of such live-link shall state the reasons and shall consider the following:
 - (a) age and developmental level of the witness;
 - (b) any physical, emotional or psychological harm related to the case or trauma experienced by the witness;
 - (c) nature of the offence and circumstances of its commission;
 - (d) any threats against the witness;
 - (e) his/her relationship with the accused or adverse

party;

- (f) his/her reaction to any prior encounters with the accused;
- (g) his/her reaction prior to trial when the topic of testifying was discussed with him/her by parents or professionals;
- (h) specific symptoms of stress exhibited by the witness in the days prior to testifying;
- (i) the custodial situation and the attitude of the members of his/her family regarding the alleged offence;
- (j) other relevant factors, such as court atmosphere and formalities of court procedure.

25. Provisions for screen, one-way mirror and other devices –

The Court may make provisions for a screen or other device to be placed in the court room to refrain visibility of accused to the vulnerable witness while testifying.

26. Right to be informed – A vulnerable witness, his/her parents or lawyer or support person shall, throughout the proceedings, to the extent feasible and appropriate, be promptly informed by the Court about the following:

- (1) procedure of the criminal justice process including the role of the witness, the importance, time and manner of testimony and time and places of hearings;
- (2) existing support mechanisms for the witness;
- (3) availability of protective measures;
- (4) relevant rights of the witness.

27. Measures to protect the privacy and well-being –

- (1) The Court may, *suo motu* or on request, may order one or more of the following measures to protect the privacy of the vulnerable witness and to prevent undue distress and secondary victimization:
 - (a) concealing from the public record name, address, workplace, profession or any other information that could be used to identify the witness;
 - (b) forbidding persons present in court room including defence lawyer from revealing the identity of the witness or disclosing any material or information related to the identity of the witness;
 - (c) assigning a pseudonym or a number to the witness; however, the full name and date of birth of the witness shall be revealed to the accused enabling him/her a reasonable period for the preparation of defence;
 - (d) concealing the features or physical description of the witness to prevent distress or harm to the witness while testifying which may include behind screen, image or voice-altering device, video link, closed sessions etc. The Court, may if finds it appropriate in the best interest of the witness, order removing the accused from the court room to any other place in proximity with a video link or visibility and audibility to the court

room. In such cases, in order to guarantee the right of the accused, the defence lawyer may remain in the court room.

- (2) Nothing hereinabove shall restrict the Court from requiring identifying information or taking any other measure, as may be deemed necessary, in the interest of the justice.

28. Confidentiality of records –

- (1) Any record regarding a vulnerable witness shall be confidential and on request, such record may be made available to the following:
 - (a) The Public Prosecutor for inspection;
 - (b) Defence counsel for inspection;
 - (c) Other person, as determined by the Court.
- (2) Generally, copy of all the documents including cloned copy of contents of the memory card/pen-drive being electronic record, on which prosecution relies, shall be given to the accused to enable him/her to present an effective defence. However, in cases involving issues of privacy or identity of the complainant/witness, the Court may be justified in restricting it to only inspection thereof.
- (3) To effectuate the right of the accused to a fair trial and the right to privacy of the victim, the Court may issue suitable directions to balance the interests of both sides, such as –

- (a) If any document is produced by prosecution or investigating officer or any other person, which may reveal the identity of the witness, the Court may direct to supply a true copy thereof to the opposite party concealing the identity of the victim/witness;
- (b) The testimony of the witness may be recorded in duplicate, one of them shall contain the name and other details required by Rule 183 of Rules and Orders (Criminal) and shall be kept in a sealed and signed envelope, which shall be used only by the Judge/Magistrate, and the other shall contain a pseudonym or the number of the witness which shall be attached with the record for the purpose of inspection and copying;
- (c) Certified copy of any record including electronic record, which may reveal the identity of the witness, may be provided after concealing the identity of the witness; and
- (d) A protective order may be issued in appropriate situations, which may include the conditions of not inspecting, reading, accessing or copying the document by any person, or disclosing to any person, except as provided in that order. Such order may also include the condition that no additional copy thereof or any of its portion shall be made, given or shown to any person without prior permission of the Court and in case of

violation, the defaulter will be subject to penalties prescribed by the law.

- (4) Where evidence of the witness is recorded by audio-video electronic means or video-graphed, that audio-video shall be accessible only for inspection subject to applicable law or rules.
- (5) Before inspection of any document including electronic devices and audio-video of evidence recorded by audio-video electronic means, by the authorized person, the Court shall ensure that he/she does not carry any device/electronic device, including mobile phone which may have the capability of copying or transferring the electronic record thereof or mutating the contents of the electronic device in any manner.

29. Protective measures – At any stage of the proceedings, when the safety of a vulnerable witness is deemed to be at risk, the Court shall arrange to have protective measures which may include the following:

- (1) refraining accused from directly or indirectly contacting the witness and any other person related to him/her;
- (2) cancelling bail of the accused and taking him/her in custody, if it considers it necessary so to do;
- (3) providing necessary protection as per the applicable witness protection scheme or law, rules or guidelines;
- (4) taking any other protective measures, as may be appropriate.

30. Travel expenses and diet money – Travel expenses and diet money shall be provided to the support person, facilitator,

vulnerable witness and to the person who escorts the witness to the court room or the remote point as per applicable rules.

* * * * *

आपराधिक मामलों में अतिसंवेदनशील साक्षियों की साक्ष्य अभिलिखित करने हेतु दिशानिर्देश

प्रस्तावना

साक्षियों समेत सभी हितधारकों के लिए निष्पक्ष विचारण सुनिश्चित करने; अतिसंवेदनशील साक्षियों की पूर्ण, सही एवं विश्वसनीय साक्ष्य सुनिश्चित व प्राप्त करने; आपराधिक न्यायप्रणाली की प्रत्याशा एवं सहभागिता में अतिसंवेदनशील साक्षियों का अहित या द्वितीयक उत्पीड़न कम करने; मिथ्या साक्ष्य के खतरे पर अंकुश लगाने; निजता के अधिकार को सुनिश्चित करने एवं न्याय वितरण प्रणाली की प्रतिक्रिया में सुधार के लिए यह समीचीन है;

माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्मृति तुकाराम बडाड़े विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, 2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 78 में अतिसंवेदनशील साक्षी अभिसाक्ष्य केन्द्र योजना अंगीकृत एवं अधिसूचित करने के लिए उच्च न्यायालयों पर कर्तव्य अधिरोपित किया है;

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित रूप में यह निरूपित हो: —

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ —

- (1) ये दिशानिर्देश आपराधिक मामलों में अतिसंवेदनशील साक्षियों की साक्ष्य अभिलिखित करने हेतु दिशानिर्देश, 2022 हैं।
- (2) ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित किए जाने की दिनांक से प्रवृत्त होंगे।
- (3) ये मध्य प्रदेश राज्य के सभी दण्ड न्यायालयों में लागू होंगे तथा जांच एवं आपराधिक विचारण के दौरान अतिसंवेदनशील साक्षियों के परीक्षण को शासित करेंगे एवं इस तथ्य की परवाह किये बगैर, कि कौन सा पक्षकार साक्षी का परीक्षण करना चाहता है, न केवल पीड़ितों के लिये बल्कि साक्षियों के लिये भी लागू होंगे।

2. दिशानिर्देशों का अर्थान्वयन — अभियुक्त के निष्पक्ष विचारण के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अतिसंवेदनशील साक्षियों के हितों को कायम

रखने व उनके अधिकतम समायोजन को बढ़ावा देने के लिए, तथा पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देशों का उदारतापूर्वक अर्थान्वयन किया जायेगा।

3. दिशानिर्देशों का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना — ये दिशानिर्देश किसी अन्य लागू विधि, नियम अथवा दिशानिर्देशों के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।
4. परिभाषाएँ — इन दिशानिर्देशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो : —

(क) सर्वोत्तम हित — से ऐसी परिस्थितियां एवं स्थितियां अभिप्रेत हैं, जो साक्षी की सुरक्षा, संरक्षण के लिए सबसे अनुकूल हों, उसके भौतिक, मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक विकास के लिए अत्यंत उत्साहवर्धक हों तथा इसमें अतिसंवेदनशील साक्षी की अभिवृद्धि एवं विकास की सुरक्षा के लिए उपलब्ध विकल्प भी सम्मिलित हैं।

(ख) पहचान छुपाना — से अभिप्रेत है एवं इसमें सम्मिलित हैं नाम, अभिभावकता, पता एवं अन्य विवरणों के प्रकाशन को प्रतिबंधित करने वाली कोई भी शर्त, जो अतिसंवेदनशील साक्षी की पहचान उजागर कर सकती है।

(ग) न्यायालय कक्ष — से अभिप्रेत है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष, साक्षी अभिसाक्ष्य केंद्र अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय/कक्ष अथवा कोई अन्य स्थान, जहां एक अतिसंवेदनशील साक्षी साक्ष्य देता है अथवा जहां साक्ष्य अभिलिखित की जाती है।

(घ) विवरणात्मक सहायता — से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है कोई मानव आकृति नमूना अथवा शरीर रचना संबंधी पुतला या चित्र या शरीर-रचना संबंधी रेखाचित्र अथवा कोई अन्य सहायता, जो किसी कृत्य या तथ्य को स्पष्ट करने हेतु किसी अतिसंवेदनशील साक्षी के लिये उचित समझी जाए।

- (ड) **विकासात्मक स्तर** – शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति सहित किसी व्यक्ति की विशिष्ट विकास अवस्था के प्रति संदर्भित है, जिसमें अधिकांश व्यक्ति उनकी शारीरिक, सामाजिक-आर्थिक, संज्ञानात्मक एवं नैतिक योग्यताओं की प्रगति के संबंध में कार्य एवं व्यवहार करने हेतु अपेक्षित हैं।
- (च) **सुगमकर्ता** – से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कार्यवाहियों के विभिन्न प्रक्रमों पर अतिसंवेदनशील साक्षी द्वारा प्रभावी रूप से संवाद तथा इस उद्देश्य हेतु अन्य हितधारकों से समन्वय स्थापित करने में अतिसंवेदनशील साक्षी की सहायता हेतु नियुक्त किया गया है।
- (छ) **बंद कमरा कार्यवाहियाँ** – से अभिप्रेत ऐसी कार्यवाहियाँ हैं जो निजी रूप से, जनता तथा प्रेस की अनुपस्थिति में की जाती हैं और ऐसी कार्यवाहियों में, केवल वे व्यक्ति अनुमत होते हैं जिनकी उपस्थिति अनिवार्य तथा न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट है।
- (ज) **लाइव लिंक** – से अभिप्रेत है तथा उसमें सम्मिलित है कोई लाइव दूरदर्शन लिंक, श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या अन्य प्रबंध, जिसके द्वारा कोई साक्षी, न्यायालय कक्ष से अनुपस्थित रहने के बावजूद भी उपस्थित है और तकनीकी का प्रयोग करके दूरस्थ संचार द्वारा साक्ष्य दे सकता है।
- (झ) **द्वितीयक उत्पीड़न** – से अभिप्रेत है ऐसा उत्पीड़न जो किसी आपराधिक कृत्य के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में नहीं बल्कि संस्थाओं अथवा व्यक्तियों की प्रतिक्रिया के माध्यम से पीड़ित को कारित होता है।
- (ञ) **विशेष उपाय** – से अभिप्रेत है तथा इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं कोई ऐसी प्रणाली, ढंग एवं उपकरण, जो किसी अतिसंवेदनशील साक्षी की साक्ष्य को अभिलिखित करने में सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं।

- (ट) सहायक व्यक्ति – से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारी द्वारा किसी प्रयोज्य विधि, नियम या दिशा निर्देशों के अंतर्गत साक्ष्य देने या न्यायिक कार्यवाहियों में उपस्थित होने हेतु अतिसंवेदनशील साक्षी को समर्थन, साथ एवं सहायता प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया है।
- (ठ) अतिसंवेदनशील साक्षी – से अभिप्रेत है ऐसा साक्षी, जो निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी में आता है:
- (i) ऐसा बालक, जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है;
 - (ii) लैंगिक हमले का आयु-निरपेक्ष पीड़ित;
 - (iii) लैंगिक हमले का लिंग-निरपेक्ष पीड़ित;
 - (iv) भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 354 एवं 377 के अंतर्गत लैंगिक हमले का आयु एवं लिंग निरपेक्ष पीड़ित;
 - (v) मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 की धारा 2(घ) के अंतर्गत यथापरिभाषित "मानसिक रुग्णता" से ग्रसित साक्षी;
 - (vi) कोई साक्षी जिसे संघ शासन की साक्षी सुरक्षा योजना, 2018 के अंतर्गत खतरे का बोध होना समझा जाए।
 - (vii) कोई भी मूक अथवा बधिर व्यक्ति अथवा किसी अन्य अक्षमता से पीड़ित व्यक्ति, जिसे न्यायालय द्वारा एक अतिसंवेदनशील साक्षी माना जाये ;
 - (viii) न्यायालय द्वारा अतिसंवेदनशील माना जाने वाला कोई अन्य साक्षी।
- (ड) प्रतीक्षा स्थल – अतिसंवेदनशील साक्षियों की चिंता कम करने में मदद करने के लिए खिलौनों, किताबों, टी. वी. आदि से सुसज्जित एक ऐसे सुरक्षित स्थान को संदर्भित करता है, जहां वे प्रतीक्षा कर सकते हैं।

5. पालन किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत — जहां तक संभव हो, अतिसंवेदनशील साक्षियों के साथ व्यवहार करते समय नीचे उल्लिखित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पालन किया जाएगा —

- (1) अतिसंवेदनशील साक्षियों को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी और अनावश्यक देरी को कम करते हुए, यथासंभव शीघ्रता से संभाला जाएगा और इस उद्देश्य के लिए न्यायालय के कार्यक्रम में बदलाव किया जा सकता है।
- (2) साक्षी के निजता के अधिकार की रक्षा करने के लिए एवं नुकसान अथवा द्वितीयक उत्पीड़न को कम करने के लिए, न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी साक्ष्य "बंद कमरे कार्यवाहियों" में अभिलिखित की जाये। इस उद्देश्य के लिए न्यायालय सभी या किसी व्यक्ति को न्यायालय कक्ष से बाहर करने का आदेश अथवा किसी विशेष व्यक्ति को न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने या होने या रहने की अनुमति दे सकता है।
- (3) न्यायालय उचित निर्देश जारी करके एवं न्यायालय कक्ष में सभी व्यक्तियों के स्थान, आवाजाही और निर्वासन की निगरानी करके भी साक्षी के लिए आरामदायक वातावरण प्रदान करना सुनिश्चित करेगा। जिस स्थान से साक्षी साक्ष्य देता है, उस स्थान को उसकी साक्ष्य को सुविधाजनक बनाने के लिए इस तरह से पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है कि साक्षी को विरोधी पक्षकार एवं उसके अधिवक्ता सामने से देख सकें। उचित वातावरण बनाने के लिए, न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट स्वयं को न्यायिक पोशाक पहनने से विमुक्त कर सकते हैं।
- (4) न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि न्यायालय कक्ष की व्यवस्था में साक्षी की विकासात्मक आवश्यकताओं को पहचान, मान्यता एवं समायोजन प्रदान किया जाता है।
- (5) इन दिशानिर्देशों के अधीन कोई भी आदेश देते समय, न्यायालय साक्षी के विकासात्मक स्तर, अपराध की प्रकृति, अपराध के संबंध में

उसकी साक्ष्य की प्रकृति, उसका अभियुक्त एवं विचारण में भाग लेने वाले व्यक्तियों से संबंध व उसकी इच्छा पर विचार करेगा।

- (6) अतिसंवेदनशील साक्षी को सहज बनाने के लिए न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि साक्षी के साथ-साथ सहायक व्यक्ति एवं उसके अधिवक्ता, यदि कोई हो, के लिए प्रतीक्षा स्थल, अन्य व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रतीक्षा स्थल अथवा कक्ष से अलग हों।
- (7) न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि अतिसंवेदनशील साक्षी की साक्ष्य से सुसंगत कार्यवाहियां साधारण भाषा में साक्षी के समझने योग्य हों, व साक्ष्य में साक्षी के आचरण एवं भावभंगिमा को उचित रूप से अभिलिखित किया जाए।
- (8) यदि साक्षी को सहायक व्यक्ति, सुगमकर्ता की सहायता या इन दिशानिर्देशों में प्रावधानित किसी अन्य सहायता की आवश्यकता हो तो वह उसे निःशुल्क उपलब्ध कराई जावेगी।
- (9) ये दिशानिर्देश न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने की सामान्य अनुशंसाएं हैं तथा न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने में पीठासीन अधिकारी की सहायता करने हेतु आशयित हैं। अतिसंवेदनशील साक्षियों के हित को ध्यान में रखते हुए, कार्यवाहियों एवं साक्ष्य के अभिलेखन की पद्धति व प्रणाली, प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

6. **विचारण पूर्व भ्रमण** – एक अतिसंवेदनशील साक्षी को सहायक व्यक्ति के साथ न्यायालय के अभिविन्यास, न्यायालय की कार्यवाही एवं न्यायालय में उपलब्ध सुविधाओं से परिचित कराने हेतु न्यायालय के अधिकारियों के स्थान, साक्षी कटघरा, दीर्घा में जनता इत्यादि सहित विचारण पूर्व न्यायालय भ्रमण की अनुमति दी जा सकेगी। इसमें न्यायाधीश/ मजिस्ट्रेट और अभियोजक के साथ चर्चा और न्यायालय में प्रत्याशित बयान के संबंध में भय, आघात तथा चिंता को दूर करने के लिए किन्हीं विशेष उपायों का प्रदर्शन शामिल हो सकता है।

7. **विचारण पूर्व भेंट** – एक न्यायाधीश/ मजिस्ट्रेट, स्वयं के संज्ञान से अथवा निवेदन पर, एक अतिसंवेदनशील साक्षी से, उसे प्रक्रिया समझने एवं सर्वोत्तम साक्ष्य देने में सहयोग करने के उद्देश्य से न्यायालयीन प्रक्रिया समझाने हेतु भेंट कर सकेगा। यह भेंट अभियोजक एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता की उपस्थिति में अथवा अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, उनकी अनुपस्थिति में की जा सकेगी।
8. **विशेष उपाय हेतु निर्देश** – न्यायालय यह निर्देश दे सकेगा कि सर्वोत्तम साक्ष्य प्रदान करने हेतु किसी विशिष्ट साक्षी की सहायता करने के लिए किस विशेष उपाय का उपयोग किया जाएगा। ऐसे निर्देश कार्यवाहियों के दौरान निर्वहित अथवा परिवर्तित किए जा सकते हैं।
9. **विधिक सहायता** – न्यायालय स्वतः अथवा निवेदन पर, किसी अतिसंवेदनशील साक्षी को विधिक सहायता उपलब्ध करा सकता है, यदि उसे लगता है कि एक अधिवक्ता की नियुक्ति साक्षी के सर्वोत्तम हित में होगी।
10. **सहायक व्यक्ति की नियुक्ति** –
 - (1) यदि कोई अतिसंवेदनशील साक्षी 18 वर्ष से कम की आयु का है अथवा किसी शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता से ग्रसित है, तो न्यायालय स्वतः अथवा आवेदन पर साक्षी के लिए सहायक व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा अथवा उसकी अनुज्ञा दे सकेगा एवं ऐसी नियुक्ति या अनुज्ञा देते समय न्यायालय को लचीला होना चाहिये।
 - (2) सहायक व्यक्ति वह व्यक्ति भी हो सकेगा जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 के नियम 5 (1) के अधीन जिला बाल संरक्षण एकक (डी.सी.पी.यू.) द्वारा संघारित रजिस्टर में सूचीबद्ध किया गया हो। ऐसी नियुक्ति में, साक्षी के सर्वोत्तम हित तथा विकासात्मक स्तर के अध्यधीन रहते हुये साक्षी की रुचि को प्राथमिकता दी जा सकेगी।
11. **सहायक व्यक्तियों द्वारा प्रदान की जा सकने वाली सहायता का विस्तार** –

- (1) सामान्यतः साक्षी की साक्ष्य अभिलिखित किए जाते समय सहायक व्यक्ति न्यायालय कक्ष में उपस्थित रहेगा। उसे दृष्टि में होना चाहिए तथा साक्षी को विरोधी पक्ष, पक्षकारों के अधिवक्ता एवं न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट की दृष्टि से पूरी तरह आच्छादित नहीं करना चाहिए।
 - (2) न्यायालय कार्यवाहियों के अनुक्रम में साक्षी को भावनात्मक समर्थन प्रदान करने के लिये सहायक व्यक्ति को अनुमति दे सकता है।
 - (3) न्यायालय सहायक व्यक्ति को साक्षी की साक्ष्य किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करने का निर्देश देगा।
12. सहायक व्यक्ति की साक्ष्य पहले अभिलिखित की जानी चाहिये – सहायक व्यक्ति की साक्ष्य, यदि वह भी उस कार्यवाही का साक्षी है, तो अतिसंवेदनशील साक्षी की साक्ष्य के पूर्व अभिलिखित की जा सकती है।
13. सुगमकर्ता की नियुक्ति और कर्तव्य –
- (1) न्यायालय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार या सहायक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर, एक सुगमकर्ता की नियुक्ति कर सकती है, यदि वह निर्धारित करती है कि अतिसंवेदनशील साक्षी को उससे पूछे गये प्रश्नों को समझने या उनका उत्तर देने में कठिनाई होती है।
 - (2) सुगमकर्ता एक दुभाषिया, एक अनुवादक, बाल मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता, मार्गदर्शन परामर्शदाता, शिक्षक, माता-पिता या साक्षी का रिश्तेदार हो सकता है जो अधिवक्ता द्वारा आशयित अर्थ के अनुसार प्रश्न पूछने के लिए शपथ के अधीन होगा।
 - (3) सुगमकर्ता ऐसा व्यक्ति भी हो सकेगा जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 के नियम 5 (1) के अधीन जिला बाल संरक्षण एकक (डी.सी.पी.यू.) द्वारा संघारित रजिस्टर में सूचीबद्ध किया गया हो।
 - (4) साक्ष्य के दौरान यदि साक्षी उससे पूछे गये प्रश्नों को समझने में असमर्थ है तो सुगमकर्ता का कर्तव्य होगा कि उन प्रश्नों की व्याख्या

ऐसे शब्दों में या ऐसे ढंग से करे, जो साक्षी के लिये बोधगम्य हैं और जो अधिवक्ता द्वारा आशयित अर्थ दर्शाते हों।

14. सहायक व्यक्ति व सुगमकर्ता का शुल्क –

- (1) एक सहायक व्यक्ति या सुगमकर्ता, जो साक्षी की साक्ष्य को दर्ज करने हेतु अपनी सेवायें प्रदान करने के लिये न्यायालय में मौजूद है व जो सरकार का वेतनभोगी कर्मचारी/अधिकारी या साक्षी के परिवार का सदस्य या रिश्तेदार नहीं है, को निम्नलिखित शुल्क का भुगतान तब तक किया जा सकता है, जब तक कि राज्य सरकार लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 के नियम 5(8) के तहत या अन्य प्रयोज्य नियमों के तहत विशिष्ट शुल्क या मानदेय निर्धारित नहीं कर देती;

श्रेणी	जब साक्ष्य अभिलिखित की जाये	जब साक्ष्य अभिलिखित न की जाये
सहायक व्यक्ति	500 /—	250 /—
सुगमकर्ता	1,000 /—	500 /—

- (2) जब तक कि राज्य सरकार इस संबंध में कोई अन्य निधि उपलब्ध नहीं करा देती, तब तक उपरोक्त वर्णित शुल्क जिला न्यायालय में उपलब्ध आकस्मिकता निधि से प्रदाय किया जा सकेगा।

15. कुछ अतिसंवेदनशील साक्षी की सक्षमता का मूल्यांकन –

- (1) अतिसंवेदनशील साक्षी साक्ष्य देने के लिये सक्षम होगा जब तक कि न्यायालय यह नहीं समझता कि वह उसके सामने रखे गये प्रश्नों को समझने या किशोरवय, बीमारी, या तो शरीर या दिमाग की या इसी तरह के किसी अन्य कारण से उन प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर देने से बाधित है।

स्पष्टीकरण:— एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति भी सक्षम माना जा सकता है जब तक कि वह प्रश्नों को समझने के लिये उसके पागलपन से बाधित नहीं है।

(2) न्यायालय स्वप्रेरणा से या आवेदन पर साक्षी की साक्ष्य अभिलिखित करने के पूर्व सक्षमता का परीक्षण कर सकता है।

(3) केवल निम्नलिखित सक्षमता निर्धारण में भाग लेने के लिये अनुज्ञात होंगे —

(क) पक्षकारों के अधिवक्ता;

(ख) सहायक व्यक्ति;

(ग) सुगमकर्ता;

(घ) अभियुक्त, जब तक कि न्यायालय यह निर्धारित न करे कि उसकी अनुपस्थिति में सक्षमता का पूर्ण रूप से मूल्यांकन किया जा सकता है;

(ङ) न्यायालयीन कर्मचारी, जो न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक समझे जायें;

(च) अन्य कोई व्यक्ति, जो न्यायालय की राय में सक्षमता का निर्धारण में सहयोग कर सके।

(4) साक्षी की सक्षमता के निर्धारण हेतु पूछे गये प्रश्न, साक्षी की आयु एवं विकास के स्तर अनुसार उपयुक्त होंगे तथा सामान्यतः उस जांच या विचारण के मुद्दों से संबंधित नहीं होंगे।

16. अभिसाक्ष्य के नियमों को स्पष्ट करना — न्यायालय, साक्ष्य अभिलेखन के पूर्व अतिसंवेदनशील साक्षी को निम्नलिखित स्पष्ट करेगा—

(1) प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने हेतु;

(2) उच्च स्वर में सत्य बोलने हेतु न कि सिर्फ हां या ना में सिर हिलाना;

- (3) स्पष्टतः बताना कि उसे याद नहीं या वह कुछ भूल चुका है; एवं
- (4) यदि प्रश्न समझ में नहीं आया है तो स्पष्ट तौर पर पूछना।

17. **प्रश्न करने का तरीका** – सच्चाई का पता लगाने की सुविधा के लिये न्यायालय अतिसंवेदनशील साक्षियों से पूछताछ पर नियंत्रण रखेगा। इसमें निम्नलिखित तरीके शामिल होंगे, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे—

- (1) यह सुनिश्चित करके कि प्रश्न अतिसंवेदनशील साक्षी के विकासात्मक स्तर के लायक उपयुक्त रूप में किये गये हैं;
- (2) प्रश्नों को सरल भाषा में रखने की अनुमति देकर, अस्पष्ट या संदिग्धार्थक या दो-तीन अर्थों वाले शब्दों या मिश्रित या जटिल वाक्यों और ऐसे प्रश्नों को टालकर, जो कि साक्षी को भ्रमित करने की संभावना रखते हैं। सामान्यतः दोहरे नकारात्मक या अत्यधिक लंबे प्रश्नों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए;
- (3) यदि साक्षी एक ही प्रश्न की पुनरावृत्ति के बावजूद भ्रमित लगता है, तो यह निर्देश देकर कि प्रश्न को पुनः तैयार कर या अन्य रीति से पूछा जाए;
- (4) उन प्रश्नों को, जिन्हें न्यायालय अशोभनीय या लज्जाजनक, निंदनीय या कष्टकारी या उनके अनुपयुक्त, अनुचित, भ्रामक, आवश्यकताहीन या दोहराव के कारण अस्वीकार्य मानता है, को अस्वीकार करके;
- (5) साक्षी को उत्पीड़न या अनुचित शर्मिन्दगी से बचाकर;
- (6) साक्षी को कथात्मक रूप से साक्ष्य देने की अनुमति देकर;
- (7) यदि साक्षी के विकासात्मक स्तर अपेक्षित करता है तो प्रश्न न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट के माध्यम से पूछे जाने चाहिए।

18. **प्रश्नों पर आपत्ति** – प्रश्नों पर आपत्ति इस प्रकार दर्ज की जानी चाहिए कि अतिसंवेदनशील साक्षी को गुमराह, भ्रमित या भयभीत न करे।

19. **साक्ष्य के उचित घंटे व विश्राम** – अतिसंवेदनशील साक्षी की साक्ष्य दिन के उस समय ली जानी चाहिए, जब साक्षी ने उचित विश्राम किया हो व

न्यायालय उसकी विकासात्मक आवश्यकता के आधार पर साक्ष्य के दौरान, जितनी बार आवश्यक हो, राहत की उपयुक्त अवधि की अनुमति दे सकता है।

20. वर्णनात्मक सहायता – न्यायालय अतिसंवेदनशील साक्षी को साक्ष्य के दौरान वर्णनात्मक सहायता के उपयोग की अनुमति दे सकता है।
21. प्रतिकूल निष्कर्ष न निकालना – इस आधार पर कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जायेगा कि अतिसंवेदनशील साक्षी को साक्ष्य में सहायता हेतु विशेष उपाय का कोई लाभ प्रदान किया गया है।
22. साक्ष्य की वीडियोग्राफी –

- (1) यदि गवाह मूक बधिर है या बोलने या सुनने में असमर्थ है, तो उसे उचित माध्यम से और सहायक व्यक्ति या सुगमकर्ता की सहायता से, जैसा भी मामला हो, शपथ दिलाई जा सकती है। हालांकि, यदि गवाह पढ़ने और लिखने में सक्षम है, तो किसी भी सांकेतिक भाषा के बजाय शपथ लेने या साक्ष्य अभिलिखित करने के लिये ऐसे तरीके को अपनाना सबसे वांछनीय है।
- (2) यदि अतिसंवेदनशील साक्षी की साक्ष्य को सांकेतिक भाषा में लिया जाना आवश्यक है, तो प्रयोज्य विधि या नियम के अधीन रहते हुये उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिये। ऐसी वीडियोग्राफी के लिये न्यायालय कक्ष में उपलब्ध हार्डवेयर, वीडियो कांफ्रेंसिंग यूनिट या कैमरा सुविधा वाले किसी अन्य कम्प्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक जिला न्यायालय द्वारा उस स्थापना के उपयुक्त कर्मचारियों के पेनल के रूप में जिला एवं तहसील मुख्यालयों के लिए अलग-अलग सूची तैयार की जा सकती है। यदि आवश्यक हो तो ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।
- (3) यदि उक्त खंड के अंतर्गत कर्मचारियों की सेवायें लेना संभव न हो तो सेवाओं को आउटसोर्स किया जा सकता है। आउटसोर्सिंग करते

समय मध्यप्रदेश शासन के जनसंपर्क विभाग में सूचीबद्ध व्यक्ति से, उस विभाग द्वारा स्वीकृत दर पर सेवाओं को प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिये।

23. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य –

- (1) ऐसे मामलों में, जहां अतिसंवेदनशील साक्षी न्यायालय बिंदु के नजदीक नहीं रहता है एवं उसके निवास स्थान के नजदीक प्रमाणिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है, तो उसकी साक्ष्य अधिमान्यतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अभिलिखित की जानी चाहिये। यद्यपि, बच्चों के अवैध व्यापार संबंधी मामलों में, जहां पीड़ित बच्चा लंबी दूरी पर रहता है, उसकी साक्ष्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही अभिलिखित की जानी चाहिये।
- (2) एतदपूर्व वर्णित समस्त संरक्षण, यथासंभव, अतिसंवेदनशील साक्षी को इस तथ्य के बावजूद, कि वह न्यायालय बिंदु पर है या दूरस्थ बिंदु पर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य अभिलेखन के दौरान उपलब्ध कराये जाएंगे। पश्चात्वर्ती स्थिति में, दूरस्थ केन्द्र पर इन दिशा निर्देशों का अनुपालन दूरस्थ बिंदु समन्वयक के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- (3) दूरस्थ बिंदु समन्वयक एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे किसी कानून या नियमों द्वारा दूरस्थ बिंदु समन्वयक के रूप में नामित किया गया हो। विचारण न्यायालय द्वारा एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी या सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति को भी दूरस्थ बिंदु समन्वयक का कार्य करने हेतु नामित किया जा सकता है।
- (4) ऐसे प्रकरणों में, जहां साक्ष्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभिलिखित किया जाना है, किसी प्रयोज्य कानून या नियमों द्वारा अपेक्षित अन्य विवरणों के अतिरिक्त, समंस में दूरस्थ बिंदु समन्वयक का नाम और संपर्क विवरण भी सम्मिलित होंगे और यह भी निर्दिष्ट

होगा कि यदि अपेक्षित हो तो साक्षी विधिक सहायता या अन्य सहायता, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों द्वारा मार्गदर्शित होंगे।

- (5) बाल साक्षियों के मामलों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एक पुलिस अधिकारी दूरस्थ बिंदु के बाहर उपस्थित रहे ताकि वह साक्षी किसी अभियुक्त के या अभियुक्त के किसी रिश्तेदार के संपर्क में ना आ सके।
- (6) दूरस्थ बिंदु समन्वयक यह सुनिश्चित करने के लिए, कि साक्षी सहज है, हर संभव उपाय करेगा और सहायक व्यक्ति की सहायता लेगा।

24. लाइव लिंक के माध्यम से साक्ष्य, जहां साक्षी न्यायालय में उपस्थित है –

- (1) जब न्यायालय संतुष्ट है कि इस बात की सारभूत संभावना है कि न्यायालय में उपस्थित अतिसंवेदनशील साक्षी अभियुक्त, उसके अधिवक्ता या अभियोजक की उपस्थिति में साक्ष्य का पूर्ण और सत्य विवरण प्रदान नहीं करेगा, न्यायालय, स्व-प्रेरणा से या आवेदन पर, आदेश दे सकेगा कि साक्षी की साक्ष्य न्यायालय कक्ष से अलग किसी कमरे से ली जाए तथा न्यायालय कक्ष में लाइव-लिंक द्वारा प्रसारित की जाए, जहां केवल न्यायालय द्वारा अनुमत व्यक्ति ही उपस्थित होंगे।
- (2) निर्णय लेने के लिए, न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट साक्षी से विश्राम कक्ष में या न्यायालय कक्ष के अलावा किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर सहायक व्यक्ति, अभियोजक और पक्षकारों के अधिवक्ता की उपस्थिति या अनुपस्थिति में पूछताछ कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न विचारण के मुद्दों से संबंधित नहीं होंगे बल्कि न्यायालय कक्ष में साक्ष्य देने के बारे में साक्षी की भावनाओं से संबंधित होंगे।

(3) ऐसी लाइव-लिंग के उपयोग को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के आदेश के कारण बताए जाएंगे और निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा:

- (क) साक्षी की आयु और विकासात्मक स्तर;
- (ख) साक्षी द्वारा अनुभव प्राप्त आघात या मामले से संबंधित कोई भी शारीरिक, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक हानि;
- (ग) अपराध की प्रकृति और उसके किए जाने की परिस्थितियां;
- (घ) साक्षी के विरुद्ध कोई धमकी;
- (ङ) अभियुक्त या विरोधी पक्ष के साथ उसका संबंध;
- (च) अभियुक्त के साथ पूर्व में आमना-सामना होने पर उसकी प्रतिक्रिया;
- (छ) विचारण से पूर्व उसकी प्रतिक्रिया, जब साक्ष्य के विषय पर उसके माता-पिता या पेशेवरों द्वारा उसके साथ चर्चा की गई;
- (ज) साक्ष्य देने से पूर्व के दिनों में साक्षी द्वारा प्रदर्शित तनाव के विशिष्ट लक्षण;
- (झ) कथित अपराध के संबंध में अभिरक्षा-स्थिति और उसके परिवार के सदस्यों का रवैया;
- (ञ) अन्य सुसंगत कारक, जैसे कि न्यायालयीन वातावरण और न्यायालय प्रक्रिया की औपचारिकताएं।

25. आवरण, एकल दृश्य दर्पण और अन्य उपकरणों के लिये व्यवस्था – अतिसंवेदनशील साक्षी को साक्ष्य देते समय अभियुक्त की दृश्यता से बचाने के लिए आवरण या अन्य उपकरण को न्यायालय कक्ष में रखे जाने हेतु न्यायालय व्यवस्था कर सकेगा।

26. सूचित किए जाने का अधिकार – अतिसंवेदनशील साक्षी, उसके माता-पिता या अधिवक्ता या सहायक व्यक्ति को, संपूर्ण कार्यवाहियों के दौरान, जहां

तक सुविधाजनक व उचित हो, न्यायालय द्वारा निम्नलिखित के बारे में तत्काल सूचित किए जाएंगे;

- (1) आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रक्रिया, जिसमें साक्षी की भूमिका, महत्व, साक्ष्य का समय और तरीका और सुनवाईयों का समय और स्थान भी शामिल हैं
- (2) साक्षी के लिए विद्यमान समर्थन तंत्र;
- (3) संरक्षणात्मक उपायों की उपलब्धता;
- (4) साक्षी के सुसंगत अधिकार।

27. निजता को संरक्षित करने के उपाय –

- (1) न्यायालय, स्वप्रेरणा से या अनुरोध पर, अतिसंवेदनशील साक्षी की निजता की रक्षा करने और अनुचित कठिनाई और द्वितीयक उत्पीड़न को रोकने के लिए निम्नलिखित में से एक या अधिक उपायों का आदेश दे सकता है:
 - (क) नाम, पता, कार्यस्थल, पेशा या किसी अन्य जानकारी को, जिसका उपयोग साक्षी की पहचान हेतु किया जा सकता हो, लोक अभिलेख से छिपाना;
 - (ख) बचाव पक्ष के अधिवक्ता सहित न्यायालय कक्ष में उपस्थित व्यक्तियों को साक्षी की पहचान प्रकट करने या साक्षी की पहचान से संबंधित किसी भी तात्विक जानकारी या सामग्री का खुलासा करने से निषेध करना;
 - (ग) साक्षी को छद्म नाम या संख्या देना; हालांकि, साक्षी का पूरा नाम और जन्म तिथि अभियुक्त को प्रकट की जाएगी जिससे उसे बचाव की तैयारी के लिए उचित समय मिल सके;
 - (घ) साक्ष्य देते समय साक्षी को कठिनाई या हानि से बचाने के लिए साक्षी की विशेषताओं या भौतिक विवरण को छुपाना, जिसमें आवरण के पीछे, छवि या आवाज बदलने वाले

उपकरण, वीडियो लिंक, बंद सत्र आदि सम्मिलित हैं। न्यायालय, यदि साक्षी के सर्वोत्तम हित में इसे उपयुक्त पाता है, तो अभियुक्त को न्यायालय कक्ष से, वीडियो लिंक या दृश्यता और श्रवणता के साथ समीपता के, किसी अन्य स्थान पर हटाने का आदेश दे सकता है। ऐसे प्रकरणों में, अभियुक्त के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए, बचाव पक्ष का अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में बने रह सकता है।

- (2) एतदपूर्व कोई भी बात न्यायालय को, न्याय हित में पहचान संबंधी जानकारी की अपेक्षा करने या कोई अन्य उपाय करने, जो आवश्यक समझे जायें, से निवारित नहीं करेगी।

28. अभिलेखों की गोपनीयता –

- (1) अतिसंवेदनशील साक्षी के संबंध में कोई भी अभिलेख गोपनीय होगा और अनुरोध पर, ऐसा अभिलेख निम्नलिखित को उपलब्ध कराया जा सकेगा:
- (क) निरीक्षण के लिए लोक अभियोजक को;
 - (ख) निरीक्षण के लिए बचाव पक्ष के अधिवक्ता को;
 - (ग) अन्य व्यक्ति को, जैसा न्यायालय निर्धारित करे।
- (2) सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख होने के नाते मेमोरी कार्ड/पेन ड्राइव की अंतर्वस्तु की क्लोन प्रतियों सहित सभी दस्तावेजों, जिन पर अभियोजन निर्भर करता है, की प्रतियां अभियुक्त को अपना प्रभावी बचाव पेश करने हेतु सक्षम बनाने के लिए दी जाएगी। हालांकि, शिकायतकर्ता/साक्षी की गोपनीयता या पहचान के मुद्दों से सम्बंधित मामलों में न्यायालय इसे केवल उनके निरीक्षण तक ही सीमित रखने को न्यायोचित ठहरा सकता है।
- (3) अभियुक्त के निष्पक्ष विचारण के अधिकार और पीड़ित की निजता के अधिकार को कार्यान्वित करने के लिये, न्यायालय दोनों पक्षों के हितों

को संतुलित करने के लिए यथोचित निर्देश जारी कर सकता है, जैसे कि -

- (क) यदि अभियोजन या अन्वेषण अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है, जो साक्षी की पहचान प्रकट कर सकता है, तो न्यायालय पीड़ित/साक्षी की पहचान छिपाते हुये उसकी एक सत्य प्रति विरोधी पक्ष को प्रदान करने का निर्देश दे सकती है।
- (ख) साक्षी की साक्ष्य दो प्रतियों में अभिलिखित की जा सकती है, उनमें से एक में नियम और आदेश (आपराधिक) के नियम 183 द्वारा आवश्यक नाम और अन्य विवरण सम्मिलित होंगे और जो मुहरबंद और हस्ताक्षरित लिफाफे में रखी जाएगी, जिसका उपयोग केवल न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा, और दूसरे में एक छद्म नाम या साक्षी का क्रमांक होगा जो निरीक्षण और प्रतिलिपि के उद्देश्य से अभिलेख के साथ संलग्न की जायेगी।
- (ग) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख सहित किसी अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि, जो साक्षी की पहचान प्रकट कर सकती है, साक्षी की पहचान छिपाने के बाद प्रदान की जा सकती है; तथा
- (घ) समुचित स्थितियों में सुरक्षात्मक आदेश जारी किया जा सकता है, जिसमें उस आदेश में वर्णित के सिवाय, किसी भी व्यक्ति द्वारा दस्तावेज का निरीक्षण न करने, न पढ़ने, पहुँच न करने या प्रतिलिपि न बनाने की शर्तें सम्मिलित हो सकती हैं। ऐसे आदेश में यह शर्त भी सम्मिलित हो सकती है कि उसकी या उसके किसी भाग की कोई भी अतिरिक्त प्रतिलिपि न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना न तो बनाई जाएगी, न ही किसी व्यक्ति को दी या दिखाई जाएगी तथा उल्लंघन की स्थिति में उल्लंघनकर्ता विधि द्वारा विहित शास्तियों के अध्वधीन होगा।

- (4) जहां साक्षी की साक्ष्य ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा अभिलिखित की जाती है, वहां ऐसा ऑडियो-वीडियो प्रयोज्य विधि व नियमों के अध्यक्षीन रहते हुये केवल निरीक्षण हेतु ही सुलभ होगा।
- (5) किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, किसी दस्तावेज, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा ऑडियो-वीडियो माध्यमों द्वारा अभिलिखित साक्ष्य के ऑडियो-वीडियो भी सम्मिलित हैं, के निरीक्षण के पूर्व, न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि वह उसके साथ कोई भी उपकरण/इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के प्रतिलिपिकरण या स्थानान्तरण अथवा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तुओं को किसी भी प्रकार से रूपांतरित करने की क्षमता से युक्त मोबाइल भी शामिल है, वहन न करता हो।

29. **सुरक्षात्मक उपाय** — कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, जबकि अतिसंवेदनशील साक्षी की सुरक्षा खतरे में समझी जाती है, तब न्यायालय सुरक्षात्मक उपायों को अपनाने का बंदोबस्त करेगा जिसमें निम्नलिखित उपाय सम्मिलित हो सकते हैं: —

- (1) अभियुक्त को साक्षी तथा उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क करने से विरत रखना;
- (2) अभियुक्त की जमानत निरस्त करना तथा उसे अभिरक्षा में लेना, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे;
- (3) प्रयोज्य साक्षी संरक्षण योजना अथवा विधि, नियम अथवा दिशानिर्देश के अनुसार आवश्यक संरक्षण प्रदान करना।
- (4) कोई अन्य सुरक्षात्मक उपाय करना, जो समुचित हो।

30. **यात्रा व्यय एवं आहार भत्ता** — प्रयोज्य नियमों के अनुसार सहायक व्यक्ति, सुगमकर्ता को, अतिसंवेदनशील साक्षी एवं उसे न्यायालय कक्ष या दूरस्थ बिंदु तक लाने ले जाने वाले व्यक्ति को यात्रा व्यय एवं आहार भत्ता प्रदान किया जाएगा।